र व ता
म जो हु
ल में जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
07/2022	15/02/2022	15/09/2025

सुरेश कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी रामपुरिया धावाई तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादी

बनाम

1. शंकरलाल उर्फ करलाल पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा निवासीगण रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. प्रहलाद पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा निवासीगण रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
3. बृजमोहन पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा निवासीगण रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

निर्णय

1. वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बालुपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की मुताबिक जमाबंदी संवत 2041–60, जमाबंदी संवत 2060–65. जमाबंदी संवत 2066–69 की खसरा नंबर 136 रकबा 1.82 हैक्टर खसरा नंबर 160 रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.85 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.56 हैक्टर कृषि आराजी वादी सुरेश कुमार के पिता लड्डू पुत्र मांग्या उर्फ माधो जाति बैरवा निवासी रामपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान के तनहा खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। उक्त कृषि आराजी पर वादी के पिता लड्डू पुत्र मांग्या उर्फ माधो अपने जीवनकाल से ही उक्त वर्णित आराजी पर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है और वादी के पिता लड्डू पुत्र मांग्या उर्फ माधो के दिनांक 15.06.2006 को फौत हो जाने के बाद उक्त कृषि आराजी पर वादी सुरेश कुमार तनहा काबिज काश्त चला आ रहा है।

2. यह कि प्रतिवादीगण 1 ता 4 वादी सुरेश कुमार के मृतक पिता लड्डू के पिता मांग्या उर्फ माधो के भाई धूलीलाल के वारिसान है। जिनका वाद पत्र में वर्णित आराजी में परिवर्तित नाम लड्डू है। जिन्होंने फर्जी तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए अपने आप को मृतक लड्डू के वारिसान बताकर मृतक लड्डू के खाते वाली वाद पत्र में वर्णित आराजी पर जमाबंदी सवंत 2066–69 ग्राम बालूपा में दर्ज नामांतरकरण संख्या 441 दिनांक 30.12.2010 को वादी के मृतक पिता लड्डू पुत्र मांग्या उर्फ माधो के खाते की वर्णित सम्पूर्ण आराजी को अपने नाम करवा लिया। प्रतिवादीगण ने कपटपूर्ण तरीके से मृतक लड्डू पुत्र मांग्या उर्फ माधो के विधिक वारिस वादी के होते हुए भी प्रतिवादी क्रम–4 तहसीलदार पीपल्दा द्वारा बिना विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही प्रतिवादीगण से मिलीभगत करते हुए वादी के मृतक पिता लड्डू पुत्र मांग्या उर्फ माधो के खाते की वर्णित आराजी पर इंतकाल नंबर 441 से प्रतिवादीगण 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मृतक लड्डू के वारिसान बताकर शंकर, प्रहलाद, बृजमोहन पुत्रान लड्डू दर्ज कर दिया गया जो अवैध है। उक्त कृषि आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का नाम खाते से दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

पर वादी सुरेश कुमार का नाम वर्णित आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

3. यह कि कानूनी रूप से मृतक खातेदार के विधिक वारिस जीवित रहते हुऐ बिना किसी आधार के दिगर व्यक्ति का नाम मृतक खातेदार के स्थान पर विधिक रूप से दर्ज नही किया जा सकता है। प्रतिवादी क्रम 4 तहसीलदार पीपल्दा को यह अधिकार प्राप्त नही था कि मृतक खातेदार लड्डू पुत्र मांग्या उर्फ माधो के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही तथा विधिक वारिस के जीवित रहते हुऐ प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का नाम वर्णित आराजी पर बतौर खातेदार दर्ज किया जावें। जबकि वादी सुरेश कुमार को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने पिता के खाते की ग्राम बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान में स्थित आराजी खसरा नंबर 136 रकबा 1.82 हैक्टर खसरा नंबर 160 रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.85 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.56 हैक्टर कृषि भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का नाम विलोपित करवाकर माननीय न्यायालय की सहायता से उक्त कृषि आराजी पर बतौर खातेदार अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

4. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने उक्त कृषि आराजी को फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज करवाते हुऐ और अपने खाते की भूमि बताते हुऐ प्रतिवादी क्रम 2 प्रहलाद व प्रतिवादी क्रम –3 बृजमोहन ने आईसीआई बैंक शाखा इटावा से अवैध तरीके से ऋण प्राप्त कर लिया है।

5. यह कि वादी सुरेश कुमार के पिता लड्डू पुत्र मांग्या के फौत हो जाने के बाद सुरेश कुमार अपने पिता लड्डू पुत्र मांग्या के खाते वाली वर्णित कृषि आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए गया तो राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी करने पर पता चला कि वादी के मृतक पिता के खाते वाली कृषि आराजी पर प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने मृतक लड्डू पुत्र मांग्या के वारिसान बताकर अपना नाम खाते में दर्ज करवा लिया है। वादी सुरेश कुमार ने कई बार प्रतिवादी 1 ता 3 से उक्त भूमि को अपने नाम करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 आज कल का नाम लेकर समय को व्यथित करते चले गये और स्पष्ट मना करने पर वादी सुरेश कुमार प्रतिवादी क्रम –4 तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा के समक्ष प्रतिवादी 1 ता 3 का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी क्रम –4 तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे का कार्य बताकर माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने की हिदायत देते हुऐ दिनांक 02.02.2022 को स्पष्ट मना करने पर वाद कारण दिनांक 02.02.2022 से लगातार उत्पन्न हो रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री व निर्णय पारित किया जावें:–

1. कि वाके ग्राम बालूपा पटवार मण्डल बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की कृषि आराजी खसरा नंबर 136 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नंबर 160 रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नंबर 48 रकबा 0.85 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.56 हैक्टर से प्रतिवादी शंकरलाल उर्फ करलाल पुत्र लड्डू, प्रहलाद पुत्र लड्डू, बृजमोहन पुत्र लड्डू जातियान बैरवा निवासीगण रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान का नाम खाते से विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर रहन को यथावत रखते हुऐ सम्पूर्ण कृषि आराजी पर वादी सुरेश कुमार पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी रामपुरिया धाबाई तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें, तथा पालना हेतु प्रतिवादी क्रम –4 तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जावें।
2. कि यदि दौरानें वाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी पर अवैध कब्जा कर लिया जावें तो वादी को मौके पर जाकर खुला कब्जा दिलवाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

वादी की ओर से वाद श्री श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 1 स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी कम 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीकम 1 की ओर से जवाब पेश किया। प्रतिवादी कम 1 शंकरलाल द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 25.10.2024 प्रतिवादी शंकरलाल ने स्वयं स्वीकार किया है कि वाद पत्र की मद संख्या 01, 02, 03, 04, 05 स्वीकार है एवं वाद पत्र में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है।

विशेष कथनः–

1 यह कि ग्राम बालूपा की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2041 सें 2060, सम्वत् 2062–2065, सम्वत् 2066–2069 कृषि भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 136 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 1.89 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 4.56 हैक्टर भूमि लडडू पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी रामपुरिया के खाते दर्ज है। मेरे पिता व प्रतिवादी कम 02 व 03 प्रहलाद, बृजमोहन के पिता का नाम धूलीलाल है। उक्त भूमि मेरे नाम नामान्तरण संख्या 441 से दर्ज हुई है, मैं शंकरलाल व प्रतिवादी कम 02 व 03 प्रहलाद, बृजमोहन लड्डू पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल के वारिसान नही है। नामान्तरण संख्या 441 दिनांक 30.12.2010 से उक्त भूमि मेरे नाम गलत दर्ज हुई है, जबकि लडडू पुत्र मांग्या का वारिस सुरेश पुत्र लडडूलाल है। सुरेश के अलावा लडडूलाल पुत्र मांग्या के अन्य कोई वारिस नहीं है। इसलिये उक्त वाद पत्र मे वर्णित सम्पूर्ण आराजी वादी सुरेश पुत्र लडडूलाल बैरवा निवासी रामपुरिया के खाते दर्ज की जावें और मेरा व शेष प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावें क्योकि उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादी सुरेश पुत्र लडडूलाल बैरवा को ही विधिक अधिकार प्राप्त है और उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी सुरेश पुत्र लडडूलाल ही काबिज काश्त है।

वकील वादी की ओर से शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 सुरेश पुत्र लड्डूलाल ने अपने समर्थन में वादपत्र Exp-1, नकल जमाबन्दी सं0 2041–60 Exp-2, नकल जमाबन्दी सं0 2062–65 Exp-3, नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 Exp-4, नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 Exp-5, नकल जमाबन्दी सं0 2074–77 Exp-6, आधार कार्ड सुरेश Exp-7, मतदाता सुची रामपुरिया Exp-8-10, एव पी0डब्ल्यू0 2 जगन्नाथ पुत्र सुखलाल, पी0डब्ल्यू0 3 रामकल्याण पुत्र औंकारलाल पेश किया जो शामिल पत्रावली है। साक्ष्य प्रतिवादी डी0डब्ल्यू0 1 शंकरलाल पुत्र धुलीलाल पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 05.08.2025 को जवाब सरकार प्राप्त शामिल पत्रावली है। जवाब सरकार रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. आराजी भूमि राजस्व ग्राम बालूपा पटवार हल्का बालूपा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज०) के जमाबंदी सम्वत् 2062 से सम्वत् 2066 के ख.न. 166 रकया 1.89 है ख.न. 48 रकबा 0.85 है०, में लडडूलाल पुत्र माधो उर्फ मांग्या जाति बैरवा नि० रामपुरिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
2. मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र लडडूलाला पुत्र माधों उर्फ मांग्या जाति बैरवा नि० रामपुरिया की फौत हो चुकी है एवं कमलाबाई पत्नि लडडूलाल की भी फॉत हो चुकी है।
3. मृतक लडडूलाल पुत्र माधो उर्फ मांग्या जाति बैरवा नि० रामपुरिया धाबाई को वर्ष 2002–2003 के राशनकार्ड, में सुरेश पुत्र लडडूलाल को अपना पुत्र बताया।
4. वर्ष 2010 की विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम रामपुरिया धाबाई की निर्वाचक नामावली में भी सुरेश पुत्र लडडूलाल दर्ज वादी द्वारा प्रस्तुत स्वय के राशनकार्ड, पहचान पत्र व आधारकार्ड में भी सुरेश पुत्र लडडूलाल दर्ज रिकॉर्ड है। ग्रामवासियान से जानकारी के अनुसार लडडू पुत्र मांग्या उर्फ माधों की ग्राम बालूपा प०म० बालूपा की भूमि पर सुरेश अर्थात वादी फसल की काश्त

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

की जा रहीं है। ग्रामवासियों द्वारा सुरेश को लडडूलाल का वारिस बताया गया है।

5. ग्रामवासियों द्वारा शंकरलाल उर्फ करलाल, प्रहलाद, बृजमोहन पुत्रान धूलीलाल जाति बैरवा नि. रामपुरिया बताया है ना कि पुत्रान लडडूलाल है।
6. प्रतिवादी क्रम 1 से 3 तक के वास्तविक पिता जी शंकरलाल उर्फ करलाल पुत्र धूलीलाल प्रहलाद पुत्र धूलीलाल, बृजमोहन पुत्र धूलीलाल है।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी श्री श्यामलाल बैरवा की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, विधानसभा मतदाता सूची, प्रतिवादी क्रम 1 शंकरलाल का प्रस्तुत जवाब एवं प्रतिवादी क्रम 4 तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब का सांगोपाग अध्ययन करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ग्राम बालूपा के ख0नं0 48 रकबा 0.85है0, ख0नं0 136 रकबा 1.82है0, ख0नं0 160 रकबा 1.89है0, कुल किता 3 कुल रकबा 4.56है0, सेटलमेंट जमाबन्दी संवत 2041 से 60, जमाबन्दी संवत 2062 से 65 एवं संवत 2066 से 69 में वादी के पिता लड्डू पुत्र मांग्या उर्फ माधो के नाम खातेदारी दर्ज थी। जमाबन्दी संवत 2066 से 69 के खाता संख्या 157 के केफियत में दर्ज नामान्तकरण संख्या 441 दिनांक 30.12.2010 के नोट से प्रतिवादीगण का नाम लड्डूलाल के पुत्र बताकर दर्ज कर दिया गया, जिसमें से प्रहलाद व ब्रजमोहन ने आईसीआईसीआई बैंक शाखा इटावा से ऋण लेकर उक्त आराजी बैंक रहन कर दी। पत्रावली के साथ सलंग्न वाद सुरेश कुमार का आधार कार्ड नं0 747617044640 पर एवं विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा (187) की मतदाता सूची भाग संख्या 25 ग्राम रामपुरिया के क्रम सं 503 पर वादी सुरेश के पिता का नाम लड्डूलाल दर्ज है एवं इसी मतदाता सूची के क्रम सं0 444 पर प्रहलाद, क्रम सं0 496 पर प्रतिवादी शंकरलाल एव क्रम सं0 503 पर प्रतिवादी ब्रजमोहन के पिता का नाम धुलीलाल दर्ज है। ग्राम इटावा के राशन कार्ड सं0 010171200258 पर भी सुरेश बैरवा के पिता का नाम लड्डूलाल दर्ज है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बालूपा के वर्तमान ख0नं0 48 रकबा 0.85है0, ख0नं0 136 रकबा 1.82है0, ख0नं0 160 रकबा 1.89है0, कुल किता 3 कुल रकबा 4.56है0, पर वादी सुरेश कुमार पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा नि0 रामपुरिया धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
07 / 2022	15 / 02 / 2022	15 / 09 / 2025

सुरेश कुमार उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी रामपुरिया धावाई तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

वादी

बनाम

1. शंकरलाल उर्फ करलाल पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा निवासीगण रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. प्रहलाद पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा निवासीगण रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
3. बृजमोहन पुत्र धूलीलाल जाति बैरवा निवासीगण रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बालूपा के वर्तमान ख0नं0 48 रकबा 0.85है0, ख0नं0 136 रकबा 1.82है0, ख0नं0 160 रकबा 1.89है0, कुल किता 3 कुल रकबा 4.56है0, पर वादी सुरेश कुमार पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा नि0 रामपुरिया धाबाई तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 15.09.2025 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी

इटावा जिला कोटा